<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 26/2018 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री अंशुल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री फूलचन्द खण्डेलवाल विक्रेता मैसर्सः—श्री खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना अस्पताल रोड महवा जिला दौसा।
2. श्री गिरधारी लाल ताम्बी निवासी बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा मालिक मैसर्सः—श्री खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना अस्पताल रोड, महवा जिला दौसा।
3. श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र श्री सन्त बक्श सिंह निवासी सिकन्दरपुर, हरदोई उत्तरप्रदेश 241304 नोमिनी **EPICU AGRO PRODUCTS PVT. LTD. GT ROAD VILLAGE MOHARA AMBALA HARIYANA.**
4. **M/S- EPICU AGRO PRODUCTS PVT. LTD. GT ROAD VILLAGE MOHARA AMBALA HARIYANA FIRM.**

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति 1.खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
2.श्री सोमेश्वर प्रसाद गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 1 व 2 उपस्थित।
3.श्री जी. एम. गंगावत अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं. 4 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः—10.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.08.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.09.2014 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 25.05.2016 को सायं 5:15 बजे मैसर्सः—श्री खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना अस्पताल रोड, महवा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय गोदाम पर विक्रेता श्री अंशुल कुमार खण्डेलवील पुत्र श्री फूलचन्द खण्डेलवाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहां तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की गोदाम में एक लीटर पैकिंग में पैक बोतल के (60 गत्ते के कार्टून **X** 12 बोतल **X** 1 लीटर) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें [illegible] का शक होने पर इनमे से (4 बोतल **X** 1 लीटर) **Fruit Beverages (Appy Fizz)** नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 200 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 16:20:19 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा **Fruit Beverages (Appy Fizz)** की 4 पैक बोतलों पर चिपकाकर पैक बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर व गोंद से चिपकाकर पैक बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1415 गोंद से चिपकाकर पैक बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैक बोतलो को चार—चार जगह से सील चपडी उपर नीचे व दोनो साइडों से सील

मोहर कर पैक बोतलो पर एफबीओ(विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह से करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये करवाकर स्वयं व गवाहान ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैक बोतलो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद पैक बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद पैक बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 26.5.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द पैक बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.5.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद पैक बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.5.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1840/एक्ट/2016/2789 दिनांक 8.8.2016 के अनुसार मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्तागण अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1840/एक्ट/2016/2789 दिनांक 8.8.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** के लेबल पर **"Contains No Caffine"** मुद्रित किया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम 2.3.1(5) का भ्रामक उल्लंघन है। लेबल पर कोई ऐसा कथन, दावा, डिजाइन, युक्ति, फैंसी नाम या संक्षेपाक्षर नहीं होना चाहिये जो खाद्य पदार्थ से सम्बन्धित या उक्त खाद्य की मात्रा या उसके पोषक मूल्य या उसके उद्‌भव के स्थान के सम्बन्ध में मिथ्या या भ्रामक है। इसलिय उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** का नमूना मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम 2.3.1(5) का उल्लंघन कर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** का विक्रय किया है। अतः अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानों के तहत अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण सं. 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दिनांक 25.5.2016 को करीब 5:15 पीएम पर श्री खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी पुराना अस्पताल रोड महवा जिला दौसा स्थित दुकान का निरीक्षण कर **Fruit Beverages (Appy Fizz)** का नमूना पैक्ड हालत में लिया था। उक्त **Fruit Beverages (Appy Fizz)** का माल **EPICU AGRO PRODUCTS PVT. LTD.** जी. टी. रोड मोहरा जिला अम्बाला से जरिये बिल खरीदा गया था। खाद्य पदार्थ पर लेबलिंग का काम निर्माता कम्पनी करती है। प्रार्थी ने जिस स्थिति में माल खरीदा था उसी पैक्ड स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूने हेतु दिया। एफएसएसए एक्ट के तहत विक्रेता यदि माल को उसी स्थिति में पैक्ड बेचता है तो उसको खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 80(2)(डि)(i) में यह प्रतिरक्षा मिली हुई कि वो इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20.19 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म को नोटिस नहीं दिया जिससे फर्म केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला में अपने नमूनों की जांच करवाने से वंचित रह गई जो कि उसका बहुमुल्य विधिक

अधिकार था। उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की प्रयोगशाला जांच में कैफीन घटक नहीं पाया गया है। वास्तव में फर्म अपने उक्त उत्पाद में कोई कैफीन घटक नहीं मिलाती है। रेग्युलेशन 2.3 उद्घोषणा के अनुसार कोई भी सूचना या चित्र लिखित, प्रिन्ट या ग्राफिक तरीके से लेबल पर दिखाई जा सकती है। खाद्य पदार्थ के लेबल पर कन्टेन नो कैफीन छपाई के कारण गलत ब्राण्ड घोषित किया गया है। जो कि विनियम 2.3. 1(5) के तहत भ्रामक होना बताय गया है। खाद्य निर्माता कम्पनी द्वारा खाद्य पदार्थ के लेबल पर **Fruit Beverages (Appy Fizz)** के लेबल पर **"Contains No Caffine"** स्पष्ट रूप से मुद्रित किया गया है। जो कि किसी भी प्रकार से मिसलीडिंग घोषित किया जाना उचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य **प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1840/एक्ट/2016/2789 दिनांक 8.8.2016 के** अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** के लेबल पर **"Contains No Caffine"** मुद्रित किया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के विनियम 2.3.1(5) का भ्रामक उल्लंघन बताया गया है। यद्यपि खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में कैफीन नहीं पाई गई है एवं नमूने के लेबल पर भी **"Contains No Caffine"** मुद्रित किया गया है। किन्तु निर्माता कम्पनी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में कैफीन नही मिलाई गई है तो खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** के लेबल पर **"Contains No Caffine"** मुद्रित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में इसके समकक्ष अन्य उत्पादों के प्रति भ्रामक स्थिति उत्पन्न होना प्रतीत होता है। खाद्य पदार्थ के लेबल पर सिर्फ उन्ही **Ingredients** का उल्लेख किया जाना चाहिये जो कि उस खाद्य पदार्थ में वास्तविक रूप से मिलाये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Fruit Beverages (Appy Fizz)** का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने पर अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 पर 15000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 10.08.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः–10.08.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अंशुल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री फूलचन्द खण्डेलवाल विक्रेता मैसर्सः–श्री खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना अस्पताल रोड महवा जिला दौसा।
4. श्री गिरधारी लाल ताम्बी निवासी बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा मालिक मैसर्सः–श्री खण्डेलवाल ट्रेडिंग कम्पनी, पुराना अस्पताल रोड, महवा जिला दौसा।
5. श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र श्री सन्त बक्श सिंह [illegible] कन्दरपुर, हरदोई उत्तरप्रदेश 241304 नोमिनी **EPICU AGRO PRODUCTS PVT. LTD. GT ROAD VILLAGE MOHARA AMBALA HARIYANA.**
6. **M/S- EPICU AGRO PRODUCTS PVT. LTD. GT ROAD VILLAGE MOHARA AMBALA HARIYANA FIRM.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Khilari Meena
Date: 2022.08.26 18:20:19 IST
Reason: SelfAttested

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा